रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-73 REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 1986/भाद्र 15, 1908
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 1986/BHADRA 15, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं ।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1 986

सा.का.नि....688:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 2) और पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 3) भर्ती नियम, 1979 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया या करने से लोप किया गया है, विधिकार्य विधाग, विधि और न्याय मंत्रालय में पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 2) और पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 3) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 2) और पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 3) भर्ती नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : पुस्तकालाध्यक्ष (श्रेणी 2) और पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 3) पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतनमान वे होंगे जो क्रमशः इससे अनुसूची । और अनुसूची 2 के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :
उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो संबंधित अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

662 GI/86—1

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Transfer on deputation (i) Assistants of the Central Secretariat Service with 5 years regular service in the grade or with 10 years combined regular service in the grades of Assistants/UDC or UDCs of Central Secretariat Clerical Service with 10 years' regular service in the grade, who have undergone training in Cash & Accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possess three years experience of cash, accounts and budget work, (ii) Failing (i) above, officers under the Central Government holding analogous posts on regular basis or SAS Accountants or SAS passed clerks from any of the organised Accounts Departments (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years.	Not Applicable	Consultation with the UPSC is not necessary while making selection for appointment to the post.

[No. A-12018/3/85-Admn. II(Estt.I)]
K. P. NIGAM, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1986

सा. का. नि. 726—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम, 1981 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम, 1981 में, (क) अनुसूची 1 में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं. श्रेणी	पदों की संख्या			वेतनमान
	स्थायी	अस्थायी	कुल	
1. क. ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर-1	—	7	7	2500-125/2-2750रु.

ख. अनुसूची 3 में क्रम संख्यांक 2 से 6 के क्रम सं. 3 से 7 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित क्रम सं. 3 से 7 से पूर्व निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

क्रम सं. श्रेणी	भर्ती की पद्धति	प्रोन्नति के लिए चयन क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा
1. प्रमुख इंजीनियर	प्रोन्नति द्वारा	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर-1 के ऐसे अधिकारी जिन्होंने ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर-1 और ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर-2 में कुल मिलाकर 2 वर्ष नियमित सेवा की है।

2 ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर—1	प्रोन्नति द्वारा	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर 2 के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न होने पर ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर—2 के के ऐसे अधिकारी जिन्होंने श्रेणी "क" पदों पर कुल मिलाकर कम से कम 16 वर्ष सेवा की है।

(घ) अनुसूची 4 में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

क्रम सं.	पद का नाम	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए।)
क 1.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर—1	1. अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष	1. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय —अध्यक्ष
		2 सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य	2 संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य
		3 आकाशवाणी महानिदेशालय —सदस्य	3. आकाशवाणी महानिदेशालय —सदस्य
		4 दूरदर्शन महानिदेशालय —सदस्य	4 दूरदर्शन महानिदेशालय —सदस्य

[सं. 301/14/85-बी (डी)]

. एस. के. रामास्वामी, निदेशक, आकाशवाणी

टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड (3)(i) तारीख 5-11-81 में प्रकाशित किए गए थे, देखिए सरकारी अधिसूचना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय सं. 301/1/81-बी (डी) [सा. का. नि. 578) (अ)] तारीख 4-11-81 और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए।

(1) सरकारी अधिसूचना सं. 301/1/81—बी (डी) [सा. का. नि. 573 (अ)] तारीख 13-9-82 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3(i) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 4th August, 1986

G.S.R. 726—: In exercise of powers conferred by the proviso to article 307 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules 1981, namely :—

(1) These rules may be called the Indian Broadcasting (Engineers) Service (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules, 1981-

(a) in Schedule I after serial number I and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely —

S. No.	Grade	No. of posts			Scale of pay.
		Pt.	Temp.	Total	
"1A.	Senior Administrative Grade Level-I.	—	7	7	Rs. 2500-125/2-2750.—"

(b) in Schedule III, serial numbers 2 to 6 shall be re-numbered as serial numbers 3 to 7 and before serial numbers 3 to 7 as so renumbered, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

S. No.	Grade	Method of recruitment	Field of selection and the maximum qualifying service for promotion
"1.	Engineer-in-Chief	By promotion	Officers in Senior Administrative Grade Level-I. with 2 years combined regular service in Senior Administrative Grade Level-I. and Senior Administrative Grade Level-II.
2.	Senior Administrative Grade Level-I	By promotion	Officers in Senior Administrative Grade Level-II with 2 years regular service in the grade, failing which officers of Senior Administrative Grade Level-II with a total service of not less than 16 years in grade 'A' posts."

(d) in Schedule IV, after serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely : —

S. No.	Name of the post	Gr. 'A' DPC (for considering promotion)	Gr. 'A' DPC (for considering confirmation)
"1A.	Senior Administrative Grade Level-I	1. Chairman/Member Union Public Service Commission — Chairman 2. Secretary, Ministry of Information & Broadcasting — Member 3. Director General, All India Radio — Member 4. Director General, Doordarshan — Member	1. Secretary, Ministry of Information & Broadcasting — Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Information Broadcasting — Member 3. Director General, All India Radio — Member 4 Director General, Doordarshan — Member"

[No. 301/14/85-B(D)]
M. K. RAMASWAMY, Director AIR

Notes : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary. Part-II, Section 3(i), dated 5-11-81 vide Government notification, Ministry of Information & Broadcasting, No. 301/1/81-B(D)[GSR 578 (E)], dated 4-11-81, and was subsequently amended by.—

(i) Government notification, No. 301/1/81-B(D)[GSR 573 (E)]dated 13-9-82 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(i).

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1986

सा.का.नि. 727—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम 1979 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में, इंजीनियरी सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—